

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/355

1. मूली बाई पुत्री स्व० श्री रामपाल जी पत्नी श्री मांगीलाल जी जाति खाती निवासी लोको राम मंदिर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. यशोदा बाई पुत्री स्व० रामपाल जी पत्नी विष्णु शंकर जी जाति खाती निवासी लोको राम मंदिर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. हेमा बाई पुत्री स्व० रामपाल जी पत्नी राधेश्या मजी जाति खाती निवासी बोरखेडा कायना हाउस के पास कोटा ।

—अपीलान्त

बनाम

1. मनोज कुमार आत्मज स्व० रामकरण जी जाति खाती ।
2. नरोत्तम आत्मज स्व० रामकरण जी जाति खाती ।
3. सीतू आत्मज स्व० रामकरण जी जाति खाती नाबालिंग जरिये वलिया माता घींसी बाई ।
4. घींसी बाई पत्नी स्व० रामकरण जाति खाती निवासीगण ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. रेखा बाई पुत्री स्व० रामकरण पत्नी लालचन्द जाति खाती निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. रीना बाई पुत्री स्व० रामकरण पत्नी रजू जी जाति खाती निवासी मकान नं० 471 गणेश नगर कोटा ।
7. लक्ष्मी बाई पुत्री स्व० रामकरण पत्नी मुकेश जी जाति खाती निवासी लाम्बा खो तहसील व जिला बून्दी ।
8. घनश्याम आत्मज स्व० रामपाल जाति खाती निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
9. बलजीत कौर पत्नी निर्मल सिंह जाति जट सिक्ख निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
10. मनजीत कौर पत्नी हरजीत सिंह जाति जट सिक्ख निवासी बडगाँव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. श्रीमती प्रीति कपूर पत्नी गौरव कपूर जाति खत्री निवासी गुरुद्वारा स्कूल के पीछे भीमगंजमण्डी जिला कोटा ।
12. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

—रेस्पोंडन्ट

अपील संख्या : 16/456

श्रीमती प्रीति कपूर पत्नी गौरव कपूर जाति खत्री निवासी गुरुद्वारा स्कूल के पीछे भीमगंजमण्डी जिला कोटा ।

—अपीलान्त

बनाम

1. नूली बाई पुत्री स्व० श्री रामपाल जी पत्नी श्री मांगीलाल जी जाति खाती निवासी लोको राम मंदिर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. यशोदा बाई पुत्री स्व० रामपाल जी पत्नी विष्णु शंकर जी जाति खाती निवासी लोको राम मंदिर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. हेमा बाई पुत्री स्व० रामपाल जी पत्नी राधेश्या मजी जाति खाती निवासी बोरखेडा कायना हाउस के पास कोटा ।
4. मनोज कुमार आत्मज स्व० रामकरण जी जाति खाती ।
5. नरोत्तम आत्मज स्व० रामकरण जी जाति खाती नाबालिग जरिये वली माता घींसीबाई पत्नी स्व० रामकरण जी ।
6. सीतू आत्मज स्व० रामकरण जी जाति खाती नाबालिग जरिये वलिया माता घींसी बाई ।
7. घींसी बाई पत्नी स्व० रामकरण जाति खाती निवासीगण ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
8. रेखा बाई पुत्री स्व० रामकरण पत्नी लालचन्द जाति खाती निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
9. रीना बाई पुत्री स्व० रामकरण पत्नी रज्जू जी जाति खाती निवासी मकान नं० 471 गणेश नगर कोटा ।
10. लक्ष्मी बाई पुत्री स्व० रामकरण पत्नी मुकेश जी जाति खाती निवासी लाम्बा खो तहसील व जिला बून्दी ।
11. घनश्याम आत्मज स्व० रामपाल जाति खाती निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
12. बलजीत कौर पत्नी निर्मल सिंह जाति जट सिक्ख निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
13. मनजीत कौर पत्नी हरजीत सिंह जाति जट सिक्ख निवासी बडगॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।
15. रमेश चन्द पुत्री श्री छीतर लाल जाति खारवाल ।
16. महावीर प्रसाद पुत्र श्री छीतर लाल जाति खारवाल निवासीगण ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—रेस्पोंडन्ट

- उपस्थित :-
1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, अपील संख्या 16/456 में अपीलान्त की ओर से ।
 2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपील संख्या 16/355 में अपीलान्त की ओर से एवं अपील संख्या 16/456 में रेस्पोंडेन्ट क्रम 1 से 5 की ओर से ।
 3. श्री विजय सिंघल, अभिभाषक, दोनों अपीलों में रेस्पोंडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

- अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. उक्त दोनों अपीलों में पक्षकारान समान होने तथा समान प्रकृति की होने तथा एक ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.06.2016 होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है। दोनों पत्रावलियों में निर्णय अलग-अलग संलग्न किये जावे।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिनी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 519 रकबा 2.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 527 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 529 की 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 452 की 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 98 की 0.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 416 की 0.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 1392 की 0.25 हैक्टर के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक वादीगण को 1/6 - भूमि तक का बेचान वैध करार दिया जाकर 0.93 हैक्टर भूमि प्रतिवादी क्रम 1 से 7 के आयी 1/6 हिस्से की जावे व शेष बेचान वादीगण के हितों के विरुद्ध प्रभावशून्य एवं अवैध घोषित किया जावे। प्रतिवादी क्रम 8 द्वारा बेचान की गई भूमि 0.56 हैक्टर प्रतिवादी क्रम 11 के नाम दर्ज की जाकर प्रतिवादी क्रम 8 के हिस्से में आयी 1/6 हिस्से की भूमि 0.93 हैक्टर में से 0.56 हैक्टर भूमि कम की जाकर शेष भूमि 0.37 हैक्टर भूमि प्रतिवादी क्रम 10 के खाते अलग दर्ज किया प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरया जावे।
4. प्रतिवादी क्रम 10 द्वारा काउन्टर क्लेम पेश कर वादी का खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया।
5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 के द्वारा वादी का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी क्रम 10 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए प्रतिवादी क्रम 10 के हिस्से को 3/4 दर्ज करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की।
6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्टगण द्वारा दो अलग-अलग अपीलें न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया।
7. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना अपीलान्ट पर कैम्प के सूचना पत्र की तामील करवाये बिना ही अधिवक्ताओं की हडताल में निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.08.2016 को प्रत्यक्ष हल्का

द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय द्वारा पेश की गई है। अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे।

9. दोनों अपीलान्त अपीलान्त सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

9. अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सूचना दिये बिना ही तथा अपीलान्त को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलान्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया जो इस प्रकार उक्त निर्णय व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 निरस्त फरमया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

10. रेस्पोंडेन्ट के लायक अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कय की है और तब से ही उनका उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 बहाल रखा जावे।


11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। हमने सर्वप्रथम अपीलान्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। अपीलान्त द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं। अतः अपीलान्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है।

12. प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में अपीलान्त को सूचित किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर ही निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार दोनों अपील अपीलान्त संख्या 16/355 एवं 16/456 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016

निर्णय किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कायम प्रत्येक वाद-विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद-विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा